झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सीएमपी संख्या 407/2019

महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

..... उत्तरदाता

.....

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ता के लिए : श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : श्री प्रत्युष कुमार, अधिवक्ता (टीसीआईएल के लिए)

05/31.01.2020 इस तत्काल याचिका में 09.02.2018 को मध्यस्थता अपील संख्या 20/2014 में पारित आदेश में कुछ संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। 09.02.2018 की स्थिति के अनुसार, अपीलकर्ता को 'मध्यस्थता के लिए स्थायी मशीनरी' अर्थात विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के समक्ष ही अपील की जा सकती थी। इसके स्थायन पर दिनांक 22.05.2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत उपलब्ध अन्य फोरम का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

उत्तरदाता(टीसीआईएल) के विद्वत अधिवक्ता को इस बात पर संदेह है कि वर्तमान कार्यालय ज्ञापन अपील का समाधान प्रदान कर सकता है। हालांकि, वे यह भी निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता अपने जोखिम पर ऐसा कर सकता है।

अपील में की गई प्रार्थना पर विचार करके और याचिकाकर्ता के अनुरोध पर 09.02.2018 को अपील का निपटान कर दिया गया था। उसके बाद भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में 22.05.2018 को कार्यालय ज्ञापन जारी करके मध्यस्थता के लिए स्थायी मशीनरी के स्था5न पर दो स्तरों (टियर)/संरचनाओं वाले 'सीपीएसई विवादों (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र' नामक एक नई व्यवस्था लागू की गई है।याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके पास अपील करने के लिए एक अलग मंच है।अब यह उन पर निर्भर है कि वे इस व्यीवस्था का उपयोग करें या न करें।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थता अपील संख्या 20/2014 दिनांक 09.02.2018 में पारित आदेश में संशोधन करते हुए तदनुसार याचिकाकर्ता को 22.05.2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत उपलब्ध मंच का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि कानून में इसकी अनुमति हो।

सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

ए0 मोहंती